सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग/Department of Disability Affairs

केस संख्या : 252/1022/12-13 **दिनांक : 03.01.2014**

के मामले मेः-

श्री विकास चहल,
सहायक श्रेणी-III (गोदाम),
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
मुख्यालय, नई दिल्ली । .....प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः- 22.11.2013

उपस्थितः

1. श्री विकास चहल शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री डी.के. भास्कर, ए.जी.एम.(ज़ेड बी), आनन्द प्रसाद, ए.जी.- III (जनरल), प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री विकास चहल, जोकि 85% अस्थिबाधित व्यक्ति है तथा सहायक श्रेणी-III (गोदाम) के पद पर भोपाल में कार्यरत हैं,, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत विकलांगता के आधर पर भोपाल से हरियाणा में स्थानांतरण करवाने से संबंधित शिकायत दिनांक 24.04.2012 प्रस्तुत की है ।

2. शिकायतकर्ता जोकि वर्तमान में सहायक श्रेणी-III (गोदाम) के पद पर भोपाल में कार्यरत हैं, का कहना है कि उन्होंने भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को अपनी शारीरिक विकलांगता के आधार पर अपना स्थानांतरण भोपाल से हरियाणा करवाने

.....2/-

हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2011 को दिया था । उनके अनुसार उनकी शिकायत पर भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने के बावजूद क्षेत्रीय कार्याल, मुम्बई द्वारा उनकी शिकायत पर नकारात्मक कार्यवाही की गई तथा नई दिल्ली मुख्यालय को भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई ।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. A-B 14017/41/90-Estt.(RR) दिनांक 10.05.1990 एवं AB 14017/16/2002-Estt.(RR) दिनांक 13.03.2002 के अनुसार विकलांग कर्मचारियों को प्रशासनिक बाधाओं के अधीन जहां तक संभव हो, उनके निवास स्थान के नजदीक पदस्थ किया जाना चाहिए । अतः मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 23.05.2012 द्वारा उठाया गया ।

4. उप महाप्रबन्धक (जेड.ई.),भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 3(2)/12/WZ/ZE.II/Pt./1256 दिनांक 19.11.2012 द्वारा कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), मुम्बई को अनुरोध किया था कि मामले की जांच करे तथा श्री विकास चहल से पश्चिम अंचल में उनके पैतृक स्थल के नजदीक तैनाती के विकल्प के विषय में पूछा जाए ।

5. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 8.3.2013 द्वारा शिकायतकर्ता से पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपना विकल्प विभाग को दे दिया है? अगर हां, तो उसकी प्रति इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इस न्यायालय को भेजें ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने ई-मेल दिनांक 21.03.2013 द्वारा सूचित किया कि वह हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला है और वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश) में कार्य करता है । उनके द्वारा स्थानान्तरण के लिए अपने मुख्यालय को पत्र लिखे गए हैं, जोकि इस ईमेल के साथ भेजे जा रहे हैं । कृपया उनकी समस्या को देखते हुए सहायता करने की कृपा करें । उन्होंने अपने पत्र दिनांक 27.09.2012 द्वारा अपना विकल्प मुख्यालय एवं संबंधित आंचलिक कार्यालय को भेज दिया था ।

7. चूंकि प्रतिवादी से इस न्यायालय के पत्र दिनांक 15.05.2013 एवं 23.07.2013 के संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, अतः स्मरण पत्र दिनांक 23.07.2013 द्वारा अनुरोध किया गया था कि मामले में कृत कार्रवाई से इस न्यायालय को दिनांक

12.08.2013 तक अवगत करायें अन्यथा यह न्यायालय अधिनियम की धारा 63(2) के अधीन कार्रवाई करने को बाध्य होगा ।

8. प्रतिवादी द्वारा मामले में कृत कार्रवाई से इस न्यायालय को अवगत नहीं कराने पर तथा शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 09.09.2013 के अवलोकन उपरांत मामला सुनवाई के लिए दिनांक 22.11.2013 को नियत किया गया ।

9. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने भारतीय खाद्य निगम के प्रवर्ग-II, III और IV के कर्मचारियों के लिए अंतर-आंचलिक प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की नीति के मार्गदर्शक-सिद्धांतों के संबंध में परिपत्र संख्या ईपी3(1)/2011 दिनांक 12.03.2013 की प्रति प्रस्तुत की । उक्त परिपत्र के अनुसार अंतर-आंचलिक अवधि स्थानान्तरण परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के परिपत्र में अंतर्विष्ट मौजूदा हिदायतों के भीतर प्रवर्ग-II, III तथा IV में एकल अविवाहित स्त्री, विधवाओं और विकलांग व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय है, जिनके संबंध में उक्त परिपत्र के पैरा 3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए मूल अंचल में पांच वर्ष की न्यूनतम पात्र कार्य अवधि की छूट में विचार किया जाएगा । अंतर-आंचलिक प्रतिनियुक्ति के लिए अनुरोध पर केवल विशेष परिस्थितियों के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा । दिनांक 12.03.2013 का परिपत्र भी कार्यकाल स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोधों की जांच के लिए कुछ मापदंडों का उल्लेख करता है यद्यपि ये निःशेषी (संपूर्ण) नहीं हैं । विकलांग कर्मचारियों के संबंध में सुसंगत मापदंड ऐसे स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मचारी की विकलांगता है ।

10. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने पत्र संख्या 3(2)/12/डब्ल्यूज़ेड/ज़ेडई. II/पार्ट फाइल/1261 दिनांक 20.11.2013 द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किए, जोकि निम्नलिखित हैं-

> *"2. In this context, the matter was examined and it is stated that Sh. Vikas Chahal, AG.III(D) has been appointed against advertisement for West Zone and subsequently posted to Madhya Pradesh Region under PH quota. West Zone comprises of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh and Goa states. FCI has strictly complied with the DoP&T Circular No. A-B 14017/41/90-Estt.(RR) dated 10.05.1990 and A-B 14017/16/2002-Estt.(RR) dated 13.03.2002 and posted him at Bhopal in Madhya Pradesh Region.*
>
> *3. Shri Chahal's request is not for place in the West Zone (Zone for which he has been recruited), but for a place which falls in North Zone (Zone for which he has not been recruited) and hence, his request cannot be considered.*

4. Further, as per existing policy inter zonal transfer are considered only after completion of five years tenure in parent cadre/zone. Although relaxation in case of PH is there for consideration by the Competent Authority but the same is as exception as inter zonal tenure transfer is against existing vacancies and hence every inter zonal transfer blocks a vacancy in the recipient zone. This reduces employment opportunity to eligible/needy person and hence the condition of five years' service has been brought in."

11. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण और तथ्य से कि शिकायतकर्ता 85% विकलांग है जोकि बैसाखियों के सहारे चलता है और जिसकी बहन 75% विकलांग है, यह न्यायालय महसूस करता है कि शिकायतकर्ता की स्थानान्तरण की प्रार्थना वास्तविक और दबावकारी परिस्थितियोंवश आवश्यक है, जिन पर परिपत्र संख्या ईपी3(1)/2011 दिनांक 12.03.2013 में निर्धारित मौजूदा मानदंडों के प्रकाश में विशेष रूप से विचार किया जा सकता है । इस प्रकार प्रत्यर्थी भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी जाती है कि वह, जैसाकि ऊपर कहा गया है, शिकायतकर्ता की प्रार्थना पर इस आदेश की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करे और इस न्यायालय को सूचित करे ।

12. मामले का तद्नुसार निपटारा किया जाता है ।

हस्त/-

(**पी. के. पिन्चा**)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन